प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

ायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

दिनांकः 08.11.2021

प्रकरण संख्या– 106/2021 वाद

उनवान

1. चुन्नीलाल पिता चतरभुज गाडरी उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तह0 भदेसर राज0
2. मांगीलाल पिता नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तह0 भदेसर राज0

.................वादीगण

।। बनाम ।।

1. घीसी पुत्री हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तह0 भदेसर
2. भंवरी पुत्री हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तह0 भदेसर
3. रतन पिता हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी रेवलिया कलां तह0 भदेसर
4. लक्ष्मण लाल पिता रामलाल गाडरी उम्र वयस्क निवासी रूपाजी का खेडा तह0 कपासन

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. टिन्नेसी एक्ट 1955

उपस्थित– श्री उदयलाल गाडरी वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी ग्राम रेवलिया कलां पटवार हल्का रेवलिया खुर्द में स्थित होकर आराजी का विवरण निम्न प्रकार है
   कि संवत् 2076 की जमाबंदी अनुसार खाता सं. 137 पर दर्ज आराजी नं. 426 रकबा 0.12 हैक्टेयर स्थित होकर साक्ष्य नकल जमाबंदी पेश है।
2. उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण के संयुक्त ... एवं कब्जेकाश्त की होकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। जि... पर ... उस समय से ही काबिज काश्त होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

3. यह कि अभी 20.06.2021 को प्रतिवादीगण वादीगणो को उक्त आराजी पर बिना किसी आधिपत्य के जबरन नीवें खोदकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है वादीगणो के समझाने पर भी नहीं मान रहे है तथा लडाई झगडा करने पर उतारू होकर जान से मारने की धमकी दे रहे है तथा प्रतिवादीगण कभी भी धनबल और मुठबल के आधार पर वादीगण के साथ अप्रिय घटना कारित कर सकते है।

4. यह कि प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात से किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं होते हुए भी वादीगण की आराजीयात में जबरन अधिकार जताते हुए बिना किसी सक्षम स्वीकृत के जबरन नवीन निर्माण एवं संरचना स्थापित करना चाहते है जिससे वादीगण की कब्जे व खातेशुदा आराजीयात का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो जावेगा यदि प्रतिवादीगण को आराजीयात खुर्द–बुर्द, निर्माण करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपनी आराजीयात खुर्द–बुर्द होने की अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय संगत होकर आवश्यक है।

5. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.06.2021 को वादीगण उक्त आराजीयात पर आकर अवेध रूप से नीवें खोद दी और निर्माण कार्य करने की धमकी देने लगे जिससे वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश किया है।

अतः प्रार्थना हे कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के किसी भू–भाग पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, नीवें नहीं खोदे, नवीन संरचना का निर्माण नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। यदि दौराने वाद किसी प्रकार का निर्माण कार्य अन्य तरीके से कोई नुकसान प्रतिवादीगण कर देवें तो जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पुनः हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद पत्र का प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत रेवलिया खुर्द केम्प में अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्र[illegible] निषेधाज्ञा का होकर वादीगण को अपूरणीय क्षति होना साबित है। अतः [illegible] जाना उचित मानते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

लायक अधिवक्ता वादी की [illegible] गई जिन्होंनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि – वादीगण के खाते[illegible] में दर्ज आराजीयात पर प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

अतिक्रमण कर उस पर नीवें खोद कर निर्माण कार्य करना चाहते है इसलिए उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे अन्यथा वादीगण को अपूरणीय क्षति कारीत होगी।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिवचनों से साबित कराया है कि मौजा रेवलिया कलां प0ह0 रेवलिया खुर्द के खाता सं. 137 पर दर्ज आराजी नं. 426 रकबा 0.12 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक तौर पर अतिक्रमण कर बिना सक्षम स्वीकृती निर्माण करा लिया जाता है तो वास्तविक क्षति वादीगण को होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा संतुलन वादीगण के पक्ष में जाता है। उत्तरदाता की ओर से वाद का खण्डन नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों को बल मिलता है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश (स्थायी निषेधाज्ञा) से पाबन्द किया जाता है कि मौजा रेवलिया कलां प0ह0 रेवलिया खुर्द के खाता सं. 137 पर दर्ज आराजी नं. 426 रकबा 0.12 हैक्टेयर के प्राकृतिक स्वरूप में किसी प्रकार अतिक्रमण कर अवरोध उत्पन्न नहीं करें किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखें इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वंय करें न अपने किसी नौकर ,चाकर, हाली एजेन्ट के माध्यम से करावें।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner